Functioning of Central Sector Mines in Maharashtra

2928. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the number of Central sector mines functioning in Maharashtra;

(b) what is the total amount of royalty paid by such mines to the State Government of Maharashtra;

(c) whether Government of Maharashtra has represented for an increase in royalty; and

(d) if so, what is the reaction of the Central Government thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) 31

(b) The total amount of royalty paid during 1991-92 by these mines, to Government of Maharashtra is Rs. 1212.98 lakhs.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

तांबा खनन और विनिर्माण उद्योगों का निजीकरण

2929. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तांबे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तांबा खनन और विनिर्माण उद्योगों को निजी क्षेत्र को देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों के नाम/पते क्या हैं, जिन्हें सरकार द्वारा तांबा उद्योग को सौंपे जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इन उद्योगों का निजीकरण किए जाने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (घ) 24.7.1991 को संसद में रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण की शर्तों के अनुसार, तांबा शोधन के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। जहां तक तांबा खनन की बात है, यह सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेगा। हिन्दुस्तान कापर लि० एक मात्र केन्द्रीय सरकार का सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, जो देश में प्राथमिक तांबा धातु का खनन और उत्पादन करता है। हिन्दुस्तान कापर लि० को किसी यूनिट का गैर-सरकारीकरण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

खदान-मजदूरों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा

2930. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खदानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं में काम के दौरान मरने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है और क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खदानों में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों/कर्मचारियों के आश्रितों को जीविका प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय में उपलब्ध-अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1989 से 1991 की अवधि के दौरान खानों में कार्य करने के दौरान मरे खान मजदूरों की संख्या इस प्रकार है:—

1989	—	232
1990	—	245
1991	—	275

खानों में नियोजित कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रावधान खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों में दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व खान प्रबंध मंडल पर है। खान सुरक्षा महानिदेशालय इन कानूनी प्रावधानों को लागू करता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा उपाय करने के बारे में प्रबंध मंडलों को समय-समय पर दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों में मृतकों के आश्रितों को प्रबंध मंडल द्वारा मुआवजे का भुगतान कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।